एम.आर. मोरारका–जीडीसी रूरल रिसर्च फाउण्डेशन

वाटिका रोड़, ऑफ टोंक रोड़, जयपुर–303905, फोन एवं फैक्सः 0141–2771100, 2771101
E-mail: info@morarkango.com, Website: www.morarkango.com

नोलॅज सेन्टर–ट्रेसियेबिलिटी मैनेजमेंट

ओर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जो नियम बनाये गये है उनमें किसान के खेत पर होने वाली फसल एवं उससे मिलने वाले उत्पादन का रिकार्ड रखे जाने के बारे में निश्चित प्रावधान किये गये है। इनमें से एक सबसे प्रमुख प्रावधान ट्रेसियेबिलिटी मैनेजमेंट से सम्बन्धित है। इसके तहत किसान के जिस खेत में फसल उत्पादन किया जा रहा है, वहां से लेकर उपभोक्ता के द्वारा खरीदे जाने तक का रिकार्ड रखा जाता है। कई बार देखने में आया है कि किसानों द्वारा फसल का उत्पादन जितनें क्षेत्रफल में किया गया है एवं उससे जितनी उपज प्राप्त हुई है, इसकी तुलना में बाजार में बिकने के लिए कई गुना अधिक माल आता रहा है। इसका एकदम सीधा एवं स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी न किसी किसान ने अथवा बीच की किसी ऐजेन्सी ने ओर्गेनिक उत्पादन के साथ किसी अन्य उत्पादन वाला माल मिला दिया है। चाहे इस प्रकार की घटना जानते–बूझते हो, चाहे अनजाने में, यह ओर्गेनिक सर्टिफिकेशन के नियमों के खिलाफ मानी जाती है। गत् कुछ वर्षों से सामान्य कृषि उत्पादन में मिलावट एवं कन्टॉमिनेशन की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण अन्य सभी प्रकार की खेती में भी ट्रेसियेबिलिटी मैनेजमेंट की जरूरत महसूस होने लगी है। कई देशों में खासकर यूरोप, अमेरिका, जापान, इत्यादि में किसी भी कृषि उत्पाद के आयात में अब ट्रेसियेबिलिटी सर्टिफिकेट की शर्तों को अनिवार्य बनाया जाने लगा है।

उपभोक्ताओं की क्वालिटी के प्रति बढ़ती चिंताओं के कारण अब रिटेल करने वाली एजेन्सी इस विषय में बहुत जागरूक हो गयी है। अतः मोरारका फाउण्डेशन द्वारा सभी ओर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम के तहत जिस प्रकार के रिकार्ड बनवाये जा रहे है उनमें ट्रेसियेबिलिटी मैनेजमेंट से सम्बन्धित रिकार्ड अनिवार्य कर दिये गये है। **किसानों के लिए ट्रेसियेबिलिटी मैनेजमेंट से सम्बन्धित रिकार्ड रखे जाने के लिए मोरारका फाउण्डेशन द्वारा नोलॅज सेन्टर की सुविधा स्थापित की गई है। किसान स्वयं अपने स्तर पर आईसीएस–फार्म डायरी में यह रिकार्ड रख सकते है एवं इस रिकार्ड की सूचना को नोलॅज सेन्टर के माध्यम से कम्प्यूटर में दर्ज करवा सकते है।**

ओर्गेनिक मैनेजमेंट में ट्रेसियेबिलिटी से सम्बन्धित रिकार्ड को ओर्गेनिक इन्टिग्रिटी के लिए भी रखा जाता है। ट्रेसियेबिलिटी मैनेजमेंट के रिकार्ड होने पर, उत्पादन का इन्वेट्री मैंनेजमेंट किया जाना भी आसान हो जाता है। किसान के द्वारा जब ओर्गेनिक उत्पादन को बेचा जाता है तब सर्टिफिकेशन ऐजेन्सी द्वारा दिया जाने वाला ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट भी इसी रिकार्ड के आधार पर बनाया जाता है।

इस विषय पर अधिक जानकारी के लिये कृपया टेलिफोन नम्बर 0141–3258154, 3258159, 3258161, 3258162, 3258166 पर सम्पर्क करें।

कार्यक्रम समन्वयक
मोरारका फाउण्डेशन